

प्रस्तावना

प्रस्तावना

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के चयनित विभागों के अंतर्गत परिवहन और उत्पाद विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन के उल्लिखित मामलों में वैसे मामले जो 2023-24 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए थे, परंतु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों और लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गयी है।

